राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 113/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अर्जुनराम पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी चांतरा मांजरा तहसील व जिला नागौर		1. लाखाराम पुत्र भंवरूराम जाति जाट निवासी चांतरा माजरा तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक :–15.07.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी के कब्जा एवं खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 11.02 बीघा मौजा चांतरा माजरा तहसील नागौर में स्थित है। नकल खतौनी साथ पेश है।

2 यह है कि, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 11.02 बीघा दक्षिण में चिपता ही अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 6.04 बीघा आया हुआ है तथा इस खेत में से प्रार्थी को सरकारी रास्ता तक जाने का रास्ता है। इस रास्ते से प्रार्थी एवं अन्य लोग ट्रेक्टर, गाडी आदि से आते जाते रहे है। यह रास्ता चांतरा माजरा के तालाब से होकर रायधनु जाने का पीढियो से चलता आया है। तथा मौके पर धूम रास्ता आज दिन भी चल रहा है। अन्य लोग भी इसी रास्ते से चल रहे है। मगर प्रार्थी एवं अन्य चलने वाले लोगो को इस रास्ते से चलने से अप्रार्थी रोक रहे है।

3 यह है कि, प्रार्थी का पीढियों से चल रहे रास्ते को दक्षिणी खसरा नम्बर 36 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने आने जाने से मना कर दिया एवं पीढियो से चल रहे रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जिससे प्रार्थी अपने पीढियो से चल रहे रास्ते को सरकारी रास्ता घोषित करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

4 यह है कि, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 16 में आने जाने के पीढियो के रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चलने से मना कर दिये जाने से प्रार्थी को अपने खेत में खडी फसल की देखभाल नही कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने का अन्य कोई नजदीक रास्ता नही है। इस एकमात्र रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 बन्द करने का हक अधिकार नही है।

5 यह है कि, प्रार्थी का पीढियो से चल रहे रास्ते की भूमि मौजा चांतरा माजरा तहसील नागौर उपखण्ड नागौर में होने से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार है।

6 यह है कि, प्रार्थी रास्ते के रूप में 20 फुट की भूमि के नाप के अनुसार न्यायालय द्वारा तय कीमत चुकाने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, आवेदन पत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी साबित करे।

2 यह है कि, आवेदन पत्र का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार कथन किया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि खसरा नम्बर 16 रकबा 11.02 बीघा में जाने का कोई रास्ता खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

36 रकबा 6.04 बीघा मे से होकर रहा हो। अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 36 के आस पास कोई सरकारी रास्ता नही है। यह गलत है कि इस रास्ते से प्रार्थी एवं अन्य लोग ट्रेक्टर गाडी आदि से आते जाते रहे हो। यह भी गलत है कि कोई कटाणी रास्ता चातरा गांजरा के तालाब से होकर रायधनु जाने का पीढियो से चलता आया हो। यह भी गलत है कि अन्य लोग भी इसी रास्ते से चल रहे हो, यह भी गलत है कि प्रार्थी व अन्य चलने वाले लोगो को इस रास्ते से चलने से अप्रार्थी रोक रहा हो। प्रार्थी द्वारा बताया गया कोई रास्ता नही है।

3 यह है कि, आवेदन पत्र का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थी का पीढियो से चल रहा रास्ता को दक्षिणी खसरा नम्बर 36 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने आने जाने से मना कर दिया हो एवं पीढियो से चल रहे रास्ते को बंद कर दिया हो। तथाकथित प्रार्थी ने जो रास्ता बताया है वह कोई कटाणी रास्ता नही है न ही कभी रास्ता रहा है, पूर्ण रूप से झूठा कथन है, यह भी गलत है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने में भारी परेशानी हो रही हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी अपने पीढियो से चल रहे रास्ते को सरकारी रास्ता घोषित करवाने का आवेदन पत्र पेश कर रहा हो।

4 यह है कि, आवेदन का पैरा संख्या 4 जिस प्रकार कथन किया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 16 मे आने जाने के पीढियो के रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चलने से मना कर दिया जाने से प्रार्थी को अपने खेत में खडी फसल की देखभाल नही कर पा रहा हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी के अपने खेत मे आने जाने का अन्य कोई नजदीक रास्ता नही हो। यह भी गलत है कि एकमात्र रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 को बंद करने का अधिकार नही हो।

5 यह है कि, आवेदन का पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है, अदालत वाला को जैसा आवेदन पत्र पेश किया है, उसको सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नही है।

6 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ऐसा कोई रास्ता घोषित करवाने का हकदार नही है, न ही राशि तय करके रास्ते की घोषणा की जा सकती है।

अतिरिक्त अनुच्छेद

7 यह है कि, आवेदन पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश करने का उल्लेख किया गया है, परन्तु धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया प्रफोर्मा के अनुसार नही होने से आवेदन पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है।

8 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 3 में रास्ते की घोषणा करने हेतु यह आवेदन पत्र पेश करने का कथन किया है, जबकि रास्ता की घोषणा करने का अदालत वाला को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, ऐसी दशा में आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

9 यह है कि, प्रार्थी ने मनगढत रास्ता बताकर अप्रार्थी के खेत में से रास्ता दिया जाने व रास्ता की घोषणा की दादर्सी चाही है तथा अवरोध नही करने को पाबंद का व्यादेश की दादर्सी भी चाही है ऐसी दादर्सी अदालत वाला देने के लिए सक्षम न्यायालय अदालत वाला नही है, ऐसी दशा में आवेदन पत्र खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमावें।

10 यह है कि, प्रार्थी ने अपना खेत खसरा नम्बर 16 बताया है, उक्त खसरा नम्बर 16 के उतरी तरफ खसरा नम्बर 17 है व खसरा नम्बर 20 है, उन दोनो खेतो के उतर मे कटाणी रास्ता चलता है, प्रार्थी अपने खेत से नजदीकी कटाणी रास्ता की तरफ ही रास्ता मांगने का हकदार है, जबकि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 36 के उतर मे बहुत लम्बी दूरी तक कोई कटाणी रास्ता नही है, ऐसी दशा में प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 36 मे से कोई रास्ता प्राप्त करने का हकदार नही है प्रार्थी ने बदनियती से आवेदन पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नागौर से रास्तो की रिपोर्ट तलब की गयी। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 16 रकबा 11.02 बीघा मौजा चातरा गाजरा में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा न. 36 रकबा

6.04 बीघा ग्राम चांतरा मांजरा उत्तरी पश्चिमी सीमा से लगता हुआ संलग्न नक्शे के अनुसार रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.07 बिश्वा होना बताया है। रास्ते की भूमि पर किसी तरह के वृक्ष नही होना बताया है। प्रार्थी एवं पटवारी हल्का रायधनू द्वारा प्रस्तुत नक्शा किरतवार ग्राम चातरा मांजरा का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 16 मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 36 मे से रास्ते की मांग की है। नजरी नक्शे का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 16 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 36 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 16 रकबा 11.02 बीघा मौजा चातरा मांजरा मे आने जाने हेत अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 36 रकबा 6.04 बीघा मे से नक्शा के अनुसार उत्तरी पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 0.7 बिश्वा रास्ते के रूप मे घोषित किया जाता है। ग्राम चातरा मांजरा की डीएलसी दर ग्रामीण साडक से 23250/–रूपये प्रति बीघा की दर से 0.07 बिश्वा की दर से 8137/– रूपये बनती है। जिसकी दुगुनी दर 16275/– रूपये अक्षरे सोलह हजार दो सौ पच्चहतर रूपये बनती है। इस प्रकार रास्ते पेटे की भूमि 0.07 बिश्वा की कीमत कुल 16275/–रूपये तहसील कार्यालय नागौर मे जमा करवाये जाने पर तहसीलदार नागौर उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करावे। उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 श्री लाखारा पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी चातरा मांजरा को देय होगे। तहसीलदार नागौर को निर्देश दिये जाते है कि रास्तो पेटे भूमि 0.07 बिश्वा को अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 36 मे से कम करावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 15.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर